कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी
Office of the Chief Executive Officer
छावनी परिषद वाराणसी
Cantonment Board Varanasi
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
Govt. of India, Ministry of Defence
वाराणसी कैंट/Varanasi Cantt. – 221002

ई-मेल: ceovara-stats@nic.in

छावनी परिषद वाराणसी कार्यालय में सम्पन्न छावनी परिषद की साधारण बैठक दिनांक 09.06.2025 समय 1130 बजे की कार्यवाही।

उपस्थित सदस्य

1. ब्रिगे0 अनिर्बान दत्ता, एस.एम. – अध्यक्ष
2. श्री सत्यम मोहन, मु0अ0अ0 – सदस्य सचिव
3. श्री राज कुमार दास – मनोनीत सदस्य

1. बजट प्राक्कलन

संदर्भ– छावनी लेखा संहिता नियम, 2020 के अन्तर्गत नियम 21।

छावनी परिषद वाराणसी के भण्डार प्राक्कलन के साथ बजट प्राक्कलन वर्ष 2025–2026 (पुनरीक्षित) एवं 2026–2027(मूल) पर विचार एवं स्वीकृत करना।

प्रस्तावित बजट प्राक्कलन के साथ सभी दस्तावेज प्रलेख पटल पर रखे गये।

संकल्प सं0 1

विचार किया गया एवं बजट प्राक्कलन वर्ष 2025–2026 (पुनरीक्षित) एवं 2026–2027 (मूल) स्वीकृत।

2. मासिक लेखा विवरण

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 127 के अधीन सामान्य/वर्गीकृत संक्षिप्त में दिये विवरण के अनुसार माह दिसम्बर, 2024 से मार्च, 2025 तक का आय–ब्यय का विवरण निम्नवत हैः–

विवरण	दिसम्बर, 2024	जनवरी, 2025	फरवरी, 2025	मार्च, 2025
प्रारम्भिक अवषेष	6,54,58,197.79	15,84,87,882.79	22,90,52,571.80	5,00,13,671.80
प्राप्तियां	99,35,147.00	3,50,44,326.00	59,35,445.00	7,23,57,268.69
टी.डी.आर. की परिपक्वता	20,23,65,775.00	15,61,39,278.00	–	–
योग	27,77,59,119.79	35,06,71,486.79	23,49,88,016.80	12,23,70,940.49
ब्यय	1,82,71,237.00	2,16,18,914.99	2,64,69,292.00	5,00,88,734.12
निवेश	10,00,00,000.00	10,00,00,000.00	15,85,05,053.00	–
अन्तिम अवषेष	15,94,87,882.79	22,90,52,571.80	5,00,13,671.80	7,22,82,206.37

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये ।

<u>संकल्प सं0 2</u>

माह दिसम्बर 2024, से माह, मार्च 2025 तक का मासिक लेखा स्वीकृत एवं नोट किया गयां।

3. <u>छावनी निधि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 53% से 55% करने की मंजूरी।</u>

संदर्भ– निदेशालय, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ पत्रांक संख्या–9334/UP/DA/LCP/
दिनांक 23.05.2025।

छावनी निधि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता उ0प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या–1/2025–वे0आ0–1–156/दस–2025–8(एम)/2016 दिनांक 09.04.2025 में दिए गए शर्तों के तहत दिनांक 01.01.2025 से 53% से 55% करने की मंजूरी पर विचार एवं नोट करना।

सम्बन्धित प्रपत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हैं।

<u>संकल्प सं0 3</u>

विचार एवं स्वीकृत किया गया ।

4. **<u>कैन्ट बोर्ड पेंशनर्स को महंगाई राहत 53% से 55% करने की मंजूरी।</u>**

संदर्भ– निदेशालय, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ पत्रांक संख्या–9334/UP/DA/LCP/
दिनांक 23.05.2025

उ0प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या–12/2025/जी–3–154/10–2025/301/2000टी.सी. दिनांक 24.04.2025 के अनुसार छावनी परिषद के पेंशनरो को महंगाई राहत दिनांक 01.01.2025 से 53% से 55% करने की मंजूरी पर विचार एवं नोट करना।

सम्बन्धित प्रपत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हैं।

<u>संकल्प सं0 4</u>

विचार एवं स्वीकृत किया गया ।

5. <u>संविदा पर नियुक्त सफाई निरीक्षक (केवल फील्ड कार्य) का सेवा विस्तार</u>

संदर्भ– छावनी परिषद परिचालन कार्यसूची संख्या 1 दिनांक 18.05.2024।

संविदा पर नियुक्त सफाई निरीक्षक श्री रियाजुल रहमान की सेवा विस्तार से संबंधित कार्यालय अधीक्षक, छावनी परिषद वाराणसी की कार्यालय टिप्पणी दिनांक 17.05.2025 पर विचार एवं स्वीकृति करना। संविदा सफाई निरीक्षक (केवल फील्ड कार्य) का संविदा सेवा काल दिनांक 31.05.2025 को समाप्त हो गया के विस्तार पर विचार करना व स्वीकृति प्रदान करना।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गए।

संकल्प सं0 5

बोर्ड द्वारा विचार किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि श्री रियाजुल रहमान को 01.08.2025 से 31.01.2026 तक संविदा सफाई पर्यवेक्षक के पद पर रखा जाये। श्री रियाजुल रहमान अपने कार्य सम्बन्धी समस्त रिर्पोट श्री अजय सिंह कुशवाहा, कार्यवाहक सफाई निरीक्षक को रिर्पोट करेगें । श्री रियाजुल रहमान को मानदेय भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के नियमो के तहत प्रदान किया जायेगा।

6. **पुष्टिकरण बिन्दु**

परिचालन कार्यसूची दिनांक 16.01.2025, 24.01.2025, 28.01.2025, 30.01.2025, 31.01.2025, 10.02.2025, 28.02.2025, 17.03.2025, 25.03.2025, 29.03.2025, 08.04.2025, 16.04.2025, 17.04.2025, 13.05.2025, 14.05.2025 एवं 21.05.2025 के संबंध में।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गए।

संकल्प सं0 6

परिचालन कार्यसूची दिनांक 16.01.2025, 24.01.2025, 28.01.2025, 30.01.2025, 31.01.2025, 10.02.2025, 28.02.2025, 17.03.2025, 25.03.2025, 29.03.2025, 08.04.2025, 16.04.2025, 17.04.2025, 13.05.2025, 14.05.2025 एवं 21.05.2025 का पुष्टि किया गया।

7. संविदा पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सको का सेवा अवधि परिवर्तन के संबंध में।

सन्दर्भ– एम0ओ0, छावनी परिषद चिकित्सालय वाराणसी का पत्र दिनांक 09.04.2025।

छावनी परिषद सार्वजनिक चिकित्सालय में सविदा पर कार्यरत निम्न चिकित्सको का सेवा अवधि परिवर्तित करने पर विचार करना। माह अगस्त, 2024 से माह मार्च, 2025 तक ओ0पी0डी0 का विवरण निम्नवत् है :–

डा0 पियूष दूबे, होमियेपैथिक चिकित्सक

क्र0स0	माह	उपस्थिति	मरीजो की सख्या
1.	अगस्त 2024	13	40
2.	सितम्बर 2024	12	26
3.	अक्टूबर 2024	13	41
4.	नवम्बर 2024	13	37
5.	दिसम्बर 2024	12	30
6.	जनवरी 2025	11	29
7.	फरवरी 2025	11	30
8.	मार्च 2025	11	34
	योग	96	267

डा0 शिखर यादव, पशुचिकित्सक

क्र0स0	माह	उपस्थिति	पे की सख्या
1.	अगस्त 2024	12	7
2.	सितम्बर 2024	11	8
3.	अक्टूबर 2024	13	4
4.	नवम्बर 2024	10	1
5.	दिसम्बर 2024	12	2
6.	जनवरी 2025	9	3
7.	फरवरी 2025	8	6
8.	मार्च 2025	12	3
	योग	87	34

उक्त प्रकरण पर सेवा अवधि पर विचार करना ।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गए।

संकल्प सं0 7

विचार किया गया तथा बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि डा0 पियूष दुबे, होम्यिापैथिक चिकित्सक के मरीजो की संख्या कम होने के कारण तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जाती है तथा डा0 शिखर यादव, पशु चिकित्सक की ओ0पी0डी0 संख्या कम होने के कारण सप्ताह में एक दिन ओ0पी0डी0 करने का निर्णय लिया गया है ।

8. जी0एफ0आर0 की धारा 155 के तहत क्रय किये गये खर्च।

सन्दर्भ – छावनी परिषद संकल्प स0.31 दिनांक 30.11.2018।

सन्दर्भित संकल्प द्वारा रू. 50,000/– से उपर और 2,50,000/– तक प्रत्येक अवसर पर आवश्यकतानुसार सामानों को क्रय करने हेतु क्रय समिति गठित की गई है, के तहत क्रय समिति द्वारा निम्न सामानों को क्रय किया गया जिसको नोट व स्वीकृत करना।

(क) 150 पीस एल0ई0डी0 ट्यूब लाईट 36 वाट जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया गया जिस पर रू. 1,07,460.00 व्यय हुआ है।

(ख) 02 पीस आधार बेस बायोमेट्रीक मशीन जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया गया जिस पर रू. 59,000.00 व्यय हुआ है।

(ग) 56 पीस रोड साईन बोर्ड जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया गया जिस पर रू. 2,61,156.00 व्यय हुआ है।

(घ) 10X2 एम0एम0 कॉपर केबिल जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया गया जिस पर रू. 1,85,000.00 व्यय हुआ है।

(ड़) 25 सेट डूअल डस्टबीन 100 लीटर क्षमता की जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया गया जिस पर रू. 2,37,450.00 व्यय हुआ है।

(च) कार्यालय प्रयोग हेतु 06 पीस स्टील अलमारी जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया गया जिस पर रू. 1,08,000.00 व्यय हुआ है।

(छ) कार्यालय प्रयोग हेतु 02 पीस कम्प्यूटर सेट जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया गया जिस पर रू. 96,000.00 व्यय हुआ है।

(ज) कार्यालय प्रयोग हेतु 01 पीस एग्जीक्यूटिव टेबल (एल–टाईप साईड टेबल व शीशा सहित) कोटेशन के माध्यम से क्रय किया गया जिस पर रू.1,49,860.00 व्यय हुआ।

(झ) कार्यालय प्रयोग हेतु 05 पीस कुर्सी एवं 01 पीस कार्नर टेबल कोटेशन के माध्यम से क्रय किया गया जिस पर रू. 1,25,000.00 हुआ।

(ट) एफ–4 एंव एफ–9 के मद में विभिन्न सेनिटेशन सामग्री जैसे 250 पीस लाठी, 50 पीस बेलचा, 50 पीस तलवार, 250 पीस ब्रूम रिंग, 40 पीस फरुई, 50 पीस बेलचा कोटेशन के माध्यम से क्रय किया गया जिस पर रू. 1,65,450.00 व्यय हुआ।

(ठ) सी0एस0आर0 मद में छावनी परिषद् अस्पताल हेतु 20 पीस फिजियोथेरेपी उपकरण क्रय किये गये जिसपर रू. 9,23,432.59 व्यय हुआ एंव जिसका भुगतान इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया नोट करने हेतु प्रस्तुत है।

(ड) छावनी परिषद् वाराणसी के तीनो विधालयो हेतु 02–02 पीस बड़े साईज के कूलर जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया गया जिस पर रू. 97,440 व्यय हुआ।

(ढ़) छावनी क्षेत्र का ट्रैफिक नियन्त्रण करने हेतु 10 पीस लोहे से बनी बैरिकेटिंग जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया गया जिस पर रू. 1,50,000.00 व्यय हुआ।

(ण) छावनी परिषद के तीनो विधालय, कार्यालय एंव नेहरू पार्क में वरूणा संध्या कार्यक्रम के दौरान प्रयोग होने वाले कारपेट 205 मीटर जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया गया जिस पर रू. 1,31,508.00 व्यय हुआ।

(त) छावनी परिषद अस्पताल हेतु 01 पीस वाटर कूलर जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया गया जिस पर रू. 58,950.00 व्यय हुआ।

<u>संकल्प सं0 8</u>

समस्त खर्चो को नोट एवं स्वीकृत किया गया।

9. <u>मिडवाईफ पदनाम से स्वास्थ्यकर्ता (महिला) पदनाम परिवर्तित करने व उषा नाथ, मिडवाईफ को परिवर्तित पदनाम का वेतन/ग्रेड वेतन व ए.सी.पी. का लाभ अनुमन्य कराने के संबंध में।</u>

संदर्भ – निदेशालय, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ पत्रांक संख्या–34238/VRS/Roopwanti/Midwife//21/C-1101 दिनांक 25.02.2021।

उ0प्र0 शासनदेश संख्या 1044/5-12-95-1- रिट -(11)/88 dated 23.05.1995, संख्या -2767/5-10-09-W-55/08 dated 23-10-2009, 2299 /5–10–09–डब्लू–55/08 दिनांक 23.10.2009, संख्या-1885/5-10-डब्लू-55/2008 dated 19-12-2011 एंव शासनादेश संख्या वे0.आ0-AA-2-773/दस-62(एम0)/2008 dated 05.11.2014 द्वारा मिडवाईफ पद नाम को परिवर्तित कर स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) पदनाम करते हुए वेतन पुनरीक्षित किया गया है।

मेमोरेन्डम आफ सेटेलमेंट दिनांक 13.05.1969 के अनुसार छावनी परिषद कर्मचारी, उ0प्र0 राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन व भत्ता का लाभ पाने के अधिकारी हैं, साथ ही साथ छावनी निधि कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले ए.सी.पी. को भी पाने का अधिकारी है। छावनी परिषद वाराणसी में मिडवाईफ का पद उ0प्र0 सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मिडवाईफ के पद के समतुल्य किया गया है।

उपरोक्त शासनादेश के तहत मिडवाईफ का पद नाम परिवर्तित करते हुए पदनाम स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) व वेतनमान पुनरीक्षित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है –

वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
1. <u>01.07.1979 से</u>	1. 01.07.1979 से

स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) –354–550	स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) 400–10–450– 12–474–द.रो–12–570–15–615
2. 23.07.1981 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) –400–10–450–12–474–द.रो.–12–570–15–615	2. 23.07.1981 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) –470–15–575–द.रो.–15–650–17–701–द.रो.735
3. 01.01.1986 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) –975–25–1150–द.रो.–30–1540	3. 01.01.1986 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) –1350–30–1440–40–1800–द.रो.–50–2200
4. 01.01.1996 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) –3200–85–4900	4. 01.01.1996 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) –4500–125–7000
5. 01.01.2006 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) –वेतन बैण्ड 5200–20200, गेड वेतन 2000	5. 01.01.2006 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) –वेतन बैण्ड 5200–20200, ग्रेड वेतन 2800

आगे यह कहना है कि श्रीमती उषा नाथ की नियुक्ति मिडवाइफ के पद पर दिनांक 21.07.1989 को वेतनमान 975–25–1150 द.रो 30–1540 में हुई थी। उ0प्र0 चिकित्सा अनुभाग–10 अधिसूचना सं0.1885/5–10–11–डब्लू–55/2008 दिनांक 19.12.2011 के तहत प्रवेश कैडर के लिए प्रवेश वेतनमान मिडवाईफ/स्वास्थ्य कार्यकर्ता(महिला) पद के लिए निम्न संशोधित वेतनमान लागू किया गया जो निम्न प्रकार है :–

क्रम सं0	प्रवेश कैडर के लिए प्रवेश वेतनमान	प्रभावी तिथि	टिप्पणी
1	470–15–575–द.रो 15–650–17–701– द.रो – 735	23.07.1981	उ0प्र0 सरकार चिकित्सा अनुभाग–10 संख्या 1885/5–10–11–डब्लू–55/2008 दिनांक 19.12.2011
2	1350–30–1440–40–1800– द.रो –50– 2200	01.06.1986	
3	4500–125–7000	01.01.1996	
4	वेतन बैण्ड –1 5200–20200 एंव ग्रेड वेतन रू.2800	01.01.2006	

तद्नुसार निदेशालय द्वारा दिये गए निर्देशानुसार कार्यरत श्रीमती उषा नाथ का मिडवाईफ पदनाम को परिवर्तित पदनाम स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) करते हुए उपरोक्त शासनादेशानुसार निम्न वेतनमान व प्रथम /द्वितीय/तृतीय सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन वेतन देय है :–

क्र0 सं0.	कर्मचारी का नाम व पद	नियुक्ति तिथि	वर्तमान वेतनमान (पूर्व संशोधित)	स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान/ ग्रेड वेतन/ ए.सी.पी	प्रस्तावित वेतनमान (पूर्व संशोधित)	शासनादेशानुसार प्रभावी तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती उषा नाथ मिडवाईफ (परिवर्तित पदनाम स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	17.01.1995	975–1540	पुनरीक्षित वेतनमान	1350–30–1440–40–1800–द.रो–50–2200	21.07.1989
			3200–85–4900	पांचवा वेतन आयोग के अनुसार(पुनरीक्षित)	4500–125–7000	01.01.1996
			वेतन बैण्ड 5200 –20200 ग्रेड वेतन	छठा वेतन आयोग के अनुसार (पुनरीक्षित)	वेतन बैंड 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	01.01.2006

			रू0.2000			
			वेतन बैण्ड 5200 –20200 ग्रेड वेतन रू0.2800	I ए.सी.पी 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर	वेतन बैंड 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	21.07.1999
			वेतन बैण्ड 9300 –34800 ग्रेड वेतन रू0.4200	II ए.सी.पी 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर	वेतन बैंड 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600	21.07.2003
			वेतन बैंड 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600	III ए.सी.पी 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर	वेतन बैंड 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800	21.07.2013

श्रीमती उषा नाथ दिनांक 31.08.2015 को सेवानिवृत्त हो गई हैं।

उपरोक्त संशोधित /पुनरीक्षित वेतनमान व ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराने पर अनुमानित वित्तिय बोझ रू. 8,96,251 होगा।

श्रीमती उषा नाथ के विरूद्व अनुशासनात्मक/अवक्षित कोई कार्यवाही लम्बित नहीं है। इनका कार्य संतोषजनक है। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का भी रख–रखाव किया जाता है।

उपरोक्तानुसार श्रीमती उषा नाथ, मिडवाईफ को लाभ अनुमन्य कराने पर विचार व स्वीकृत करना।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये।

<u>संकल्प सं0 9</u>

विचार किया गया एवं स्वीकृत। विषयगत मामले में मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद वाराणसी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.05.2025 सक्षम प्राधिकरी को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार कर वांछित प्रपत्रो के साथ निदेशालय, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ छावनी को प्रस्तुत करने की कार्यवाही करे।

10. <u>ए.बी.ए.एस. कार्य हेतु सी.ए. के कार्यकाल का विस्तार।</u>

सन्दर्भ–परिचालन कार्यसूची संख्या 3 दिनांक 21.09.2024 एवं लेखाकार की रिपोर्ट दिनांक 31.05.2025।

संदर्भित संकल्प द्वारा मे0 आर. विश्वकर्मा एण्ड एसोसिएट्स, सी.ए., जगतगंज, वाराणसी ए.बी.ए.एस. से संबंधित कार्य करने हेतु मासिक दर रू. 30,000/– प्रति माह पर स्वीकृत किया गया था, जिनकी कार्य अवधि दिनांक 31.05.2025 को समाप्त हो गया है। चूंकि ए.बी.ए.एस. कार्य हेतु सी.ए. की सेवा लेना आवश्यक है अतः कार्यरत सी.ए. मे0 आर. विश्वकर्मा एंड एसोसिएट्स का बोर्ड द्वारा निर्धारित पूर्व दर पर दिनांक 01.06.2025 से 11 मॉह के लिए विस्तार करने पर विचार व स्वीकृत करना।

सम्बन्धित प्रलेख पटल पर रखे गये।

<u>संकल्प सं0 10</u>

विचार किया गया एवं स्वीकृत।

11. **डा0 दीप्ति दिक्षित शर्मा, आर0एम0ओ0 के अध्ययन अवकाश के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ : छावनी परिषद संकल्प संख्या 16 दिनांक 13.02.2024।

संदर्भित संकल्प द्वारा डा0 दीप्ति दीक्षित शर्माए आर0एम0ओ0 को दिनांक 29.01.2024 से 03 वर्ष हेतु वेतन सहित अध्ययन अवकाश इस शर्त पर स्वीकति प्रदान किया था कि अध्ययन अवकाश समाप्ति के उपरान्त कम से कम छावनी परिषद वाराणसी में तीन वर्ष की नियमित सेवा प्रदान करना होगा अन्यथा अध्ययन अवधि के दौरान भुगतान किए गए वेतन की वसूली की जायेगी।

स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी ने अपने आपत्ति संख्या 7 दिनांक 29.06.2024 (10/2023 से 03/2024) आपत्ति संख्या 10 दिनांक 31.12.2024 (04/2024 से 09/2024) द्वारा यह आपत्ति किया गया है कि छावनी परिषद अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक का पद सृजित नहीं हैं, इसलिए इस प्रकार की छुट्टी प्रदान करना छावनी परिषद के पक्ष में नहीं हैं तथा छावनी परिषद वित्तीय लाभ हेतु आवश्यक कार्रवाई करे।

उपरोक्तानुसार उक्त प्रकरण पर पुर्नविचार करना।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये ।

संकल्प सं0 11

विचार किया गया एवं विषयगत मामले में आडिट आपत्ति के कारण जून, 2025 से डा0 (श्रीमती) दीप्ति दीक्षित शर्मा, आर0एम0ओ0 का मासिक वेतन भुगतान पर रोक लगाये जाने का निर्णय लिया गया।

12. **छावनी परिषद क्षेत्र में ऑगनवाडी केन्द्र भवन के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता हेतु।**

सन्दर्भ– मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी पत्रांक स0 777/जि0का0अधि0/निर्माण व संरचना/2025–206 दिनांक 30.05.2025।

वर्तमान में छावनी क्षेत्र में 05 ऑगनवाडी केन्द्र संचालित है जिसमें 0–6 वर्ष के बच्चों को पूर्व शिक्षा प्रदान किया जाता है । वर्तमान में संचालित ऑगनवाडी केन्द्र के पास अपना विभागीय भवन नही है तथा ऑगनवाडी केन्द्र को संचालन बहुत छोटे–छोटे स्थानो पर किया जाता है जिसके कारण लाभार्थियों को असुविधा होती है एवं अन्य योजनायों के कियान्वयन में परेशानी होती है ।

मुख्य विकास अधिकारी ने सर्न्दभित पत्र द्वारा छावनी क्षेत्र में एक ऑगनवाडी केन्द्र खोलने हेतु 650 वर्गफुट से 4120 वर्गफुट भूमि की मॉग की है जिस पर विचार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना ।

सम्बन्धित प्रलेख पटल पर रखे गये।

संकल्प सं0 12

विचार किया गया एव मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि छावनी अधिनियम–2006 की धारा 62 (XII) के अर्न्तगत चाईल्ड वेलफेयर सेन्टर का विकास एवं संचालनं करना बोर्ड के दायित्व में निहित है, इसलिए जिला प्रशासन के सहयोग से छावनी क्षेत्र के सिविल एरिया (सदर बाजार) में स्थान चिन्हित कर ऑगनवाड़ी केन्द्र खोलने हेतु स्वीकृति प्रदान किया गया ।

13. DEVELOPMENT OF CARRIAPA MARG SY.NO. 53 (PT.) FROM NEHRU TO VARUNA BRIDGE.

Please refer Engineering Section Report dt. 30.05.2025 wherein it's stated that Carriapa Marg is situated at Northern Western side of Varanasi Cantonment area and the road with R.O.W separates the boundary of Varanasi Cantonment and Varanasi Nagar Nigam Carriapa Marg falls on Sy.No. 53 (Pt.) i.e. Class 'C' Land and vested to the Cantt Board Varanasi.

Further it is stated that in the limit of Varanasi Nagar Nigam at the outset of Carriapa Marg a series of popular Hotels are established therefore the Carriapa Marg is often used by the visitors & tourist coming to the Varanasi City.

Therefore Chief Executive Officer vide D.O Letter dt. 14.05.2025 has requested to the Varanasi Development Authority to undertake a project for the development of Road alongwith providing the street side amenities to the commuters on the road. Vice Chairman, Varanasi Development Authority has aggreed upon the suggestion given by the C.E.O on the subject matter and submitted a proposal for the development of Carriapa Marg from Varuna Bridge upto Nehru Park Junction.

Therefore matter is placed before the Board to consider the proposal letter No. 312/वि0प्रा0/निर्माण/2025–26 dated 22.05.2025 submitted by the Varanasi Development Authority and for its decision on the project.

Relevant file is placed on the table.

संकल्प सं0 13

Board approved the proposal of Varanasi Development Authority for development of Carriapa Road and street side amenities on following conditions :

(a) There shall be no alienation of Land.
(b) All asset made shall be the property of Cantt Board and Cantt Board shall be free to use/change any of the assets created under this project.
(c) No commercial use of defence shall be permitted without prior approval of the Cantt Board.

14. REQUEST FOR RENEWAL OF LICENSE LAND BY HOTEL CLARKS LTD. VARANASI

To consider M/s Hotel Clarks Varanasi Ltd. application dt. 31.03.2025 and 24.03.2025 for the license of land admeasuring 276.47 Sq.Mt. opposite side of Hotel and 549.13 Sq.Mt. adjacent to Hotel Clarks respectively. It is further submitted that 162.50 Sq.Mt. out of 549.13 Sq.Mt. has been auctioned by the Cantt Board Varanasi through E-auction process and Auction has been approved by the Board vide Circular Agenda No. 1, dt. 17.04.2025

Further it is stated that M/s Hotel Clarks Varanasi Ltd. has filed W.P No. 2305 of 2025 and W.P No. 15358 of 2025 to restrain Cantt Board Varanasi for taking any further action on the subject land. Applications are put up before the Board for its consideration and for its decisions.

Relevant file is placed on the table.

संकल्प सं0 14

Board discussed the matter in detail. Board also discussed the fact that Hotel Clarks has filed two Court Cases for a parcel of land against Union of India and Cantonment Board, Varanasi.

Board unanimously resolved that since some development works are proposed on these lands, the application of Hotel Clarks dated 31.03.2025 & 24.03.2025 could not be considered and hence Board unanimously rejected the application.

15. RENAMING OF CANTT FUND ROAD

To consider the report of Engineering Section dt. 28.05.2025 wherein it is stated that after the inauguration of Phulwaria Four Lane, a new entry from the Imliaghat Road into Cantonment area is developed and traffic density on Imliaghat Road has increased manifolds.

Therefore for keeping an uniformity to new entry of Cantonment area the road starting from Phulwaria Four Lane Sy.No. 22 via Sy.No. 13 upto Nehru Park Intersection Sy.No. 36 may be renamed.

Relevant documents placed on the table and for Board approval.

संकल्प सं0 15

Board has resolved to rename the road starting from Phulwaria Four Lane to Nehru Park crossing comprising Sy.No. 22, 13 and 36 as Vijay Path.

16. SUBMISSION OF UPDATED PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING PLAN FOR BUNGALOW NO. 44 ON SY.NO. 92, VARANASI CANTONMENT.

President, Queen of Apostles Society, Varanasi has submitted Building Notice dated Nil for the errection residential building having plinth area of 3266.83 sqft. The same was referred to the D.E.O, Allahabad circle vide office letter No. S-31/24/Bg.No. 44/6134 dt. 04.01.2025 U/s 238 (3) of the Cantt Act 2006 for obtaining N.O.C from land point of view. However the D.E.O, Allahabd Circle has returned the plan vide Lt.No. B-22/2/78 dt. 12.02.2025 received on 25.02.2025 to the office of the Cantonment Board due to want of Cantt Board Resolution.

Therefore matter is placed before the Board to consider the Building Notice of President Queen of Apostles Society Varanasi dt. 04.12.2024 and to forward the Building Notice to D.E.O, Allahabad Circle for obtaining No Objection Certificate from land point of view under section 238 (3) of the Cantt Act 2006.

Relevant file is placed on the table.

संकल्प सं0 16

Board discussed the matter at length and decided to forward building notice to DEO, Allahabad Circle for obtaining NOC from land point of view.

17. UNAUTHORIZED CONSTRUCTION IN BUNGALOW NO. 15, SY.NO. 99, VARANASI CANTT.

To consider the report of Engineering Section dt. 23.05.2025 regarding unauthorized construction carried out by the Director Hotel De-Paris Bungalow No. 15 Sy.No. 99. It is pertinent ot mention here that the said comprising of Sy.No. 99 Classified as B-3 Land, located outside notified civil and is under the management of office of Defence Estates Officer, Allahabad Circle and held on Old Grant terms. The details of unauthorized consideration as per inspection report dt. 03.05.2025 is given here under :-

Construction of temporary C.G.I shed admeasuring 22.95m x27.30m mounted over M.S pipe frame structure to cover up the courtyard area and entry from center dinning area to courtyard and from southern block to courtyard area are closed by the errection of temporary partition wall made up with ply-wood shutters and M.S pipe.

Notice U/s 239 (i) of Cantt Act, 2006 vide office Letter No. P-27/2/126 dt. 06.05.2025 is issued. The unauthorized construction has been carried out in violation of section 234, 235 and 238 of the Cantonment Act, 2006.

Therefore matter is placed before the Board for its consideration and to approve to issue notice under section 247 & 248 of the Cantt Act, 2006.

Relevant file is placed on the table.

संकल्प सं0 17

विचार किया गया एवं स्वीकृति ।

हस्ताक्षर / सही
(सत्यम मोहन)
सदस्य सचिव
छावनी परिषद, वाराणसी
दिनांक 09.06.2025

हस्ताक्षर / सही
(अनिर्वान दत्ता, एस.एम..) ब्रिगे0
अध्यक्ष, छावनी परिषद, वाराणसी
दिनांक 09.06.2025